

2015/00088

मोटर का 103

19/10/15
6-1-2015
17-2-16
11/5/16
6/5/17

सरकार (कायदा-129)

जनरल स्टम्प सिविल स्टम्प 129 अपेक्डेड फार्म नं. 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ जिला-भोलवाड़ा (राज.)

22/11/17
13/2/17

क्रिम नुक्रमा 1	नम्बर नुक्रमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फेमला 4	फेमला नम्बर
53-88 RTA 03 पक्ष	72/15	5/6/15	5/8/19	6/4/17
			5/5/17	9/5/17
			4/12/17	15/11/17
			12/3/18	30/5/18
			18/12/18	6/8/18
			11/4/19	
			5/8/19	

अनवान

श्री सुजाना डी० होमा लुहा श्री गुरु देवी w/o भोव (माता शा)
 निवासी मोटरका (93) निवासी मोटरका (93) वर्ग 5

श्री विनोद कुमार मा 10
अधिवक्ता वादी/प्राची/अपोलास्ट/

ज.ल - 1
सांख्यिक - 2-3
अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रेस्पाडेन्ट/

डिक्रीदार

नदयुनात

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
14/6/18	पत्रावली न्याय आदेश क्र. 22/2018 (वि.सं.) में पेश हुई। व कुलम करिके उपाय/वादी के अधिकारों को आसानी सहज नहीं होने से पत्रावली वाते शहवादी क्रि.क. 6/8/18 को पेश हो।
6/8/18	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई, जिन लड़ी पतिवर्ग उपस्थित पीठासीन अधिकारी ... पत्रावली वाते को पेश हो।</p> <p>आदेश से रीडर उपखण्ड अधिक माण्डलगढ़</p>
12/9/18	पत्रावली पेश हुई। उद्योग अविबन्धन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत आदेश पर पत्रावली पेश करने हेतु समय चाहते हैं पत्रावली वाते शहवादी क्रि.क. 18/11/18 को पेश हो।
18/12/18	अधिवक्ता उभयपक्ष उपा/श्रीमान P.O. के आवकाश में पत्रावली वाते शहवादी क्रि.क. 11/4/19 को पेश हो।
11/4/19	अधिवक्ता उभयपक्ष उपा/श्रीमान P.O. के चुनाव अधिनियम में शहवादी पत्रावली वाते शहवादी क्रि.क. 5/8/19 को पेश हो।
5/8/19	<p>अधिवक्ता उभयपक्ष उपा/वकील वादी द्वारा NOT PROCEED किया गया। अज आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अतः वादी पर अन्यायिक धारा 53-88 RTA इति एजे पारवारिक किया जा रहा है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p>

Not Proved
क्रि.क. 5/8/19